(ग) ग्राम रक्षा दलों की स्थापना ;

(घ) शारीरिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा;

(ङ) स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठनो की स्थापना;

(च) ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण और उनकी सेवाओं का उपयोग करना;

(छ) बच्चों की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना ।

5. सामुदायिक विकास के क्षेत्र में :—

(क) रोजगार तथा उत्पादों में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण संस्थानों के समन्वय के लिए योजना बनाना ;

(ख) आपसी सहयोग के सिद्धान्त पर ग्राम समुदाय में स्वयं सहायता तथा आत्म—निर्भरता में प्रशिक्षण ;

(ग) समुदाय के लाभ के लिए अधिशेष ऊर्जा, संसाधनों और समय का उपयोग;

(घ) प्रशासक द्वारा प्रदत्त विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना ।

6. कृषि तथा सिंचाई के क्षेत्र में :—

(क) द्वीपों में कृषि विकास के लिए योजना बनाना;

(ख) भूमि तथा जल संसाधनों का उपयोग और आधुनिकतम अनुसंधानों के अनुसार परिष्कृत कृषि पद्धतियों का प्रचार;

(ग) द्वीपों में सिंचाई कार्यों का निर्माण और अनुरक्षण;

(घ) द्वीपों में कृषि भूमि का सुधार और सरंक्षण;

(ङ) बीज प्रवर्धक कार्यों का अनुरक्षण, पंजीकृत बीज उत्पादकों को सहायता तथा द्वीपों में बीजो का वितरण;

(च) फल तथा सब्जी उत्पादों को बढ़ाना ;

(छ) खाद संसाधनों का संरक्षण, मिश्रित खाद, जैविक खाद तैयार करना और उसके आसानी से उपलब्धता का प्रबन्ध करना;

(ज) परिष्कृत कृषि सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहन और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करना;

(झ) फसलो, फलों, पेड़ों तथा पौधों को रोगों से बचाना;

(ञ) सिंचाई तथा कृषि विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना;

(ट) कुएँ का निर्माण तथा मरम्मत कर, लघु सिंचाई कार्यों को हाथ में लेकर निजी तालाबों की खुदाई और मरम्मत तथा खेतों के नालों का पर्यवेक्षण कर सिंचाई के तहत् भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना;

(ठ) सिंचाई स्कीमों के तहत् उपलब्ध जल को समय पर उपलब्ध कराना और बराबर वितरण करना और उसका पूर्ण उपयोग करना ।

7. पशुपालन के क्षेत्र में :—

(क) साँडों के द्वारा पशु नस्लों का सुधार;